पाठ्यक्रम सहभागी / सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ (Co-curricular Activities)

राष्ट्रीय सेवा योजना

महाविद्यालय में 100 स्वयं सेवक/स्वयं सेविकाओं की एक इकाई एक कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन में कार्यरत है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक स्वयं सेवक / सेविका के लिये 120 घण्टे का सेवा कार्य करना अनिवार्य है इसके अतिरिक्त सप्त दिवसीय विशेष शिविर व एक दिवसीय शिविरों का भी आयोजन किया जाता है।

रोवर्स-रेंजर्स

राष्ट्रीय सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने की भावना एवं स्वावलम्बन की भावना का समुचित विकास करने के लिए महाविद्यालय में रोवर्स एवं रेंजर्स इकाई का गठन किया जाता है।

क्रीड़ा परिषद

स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है इसलिये छात्र/छात्राओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिये क्रीड़ा परिषद् की देखरेख में इन्डोर एवं आउटडोर खेलों की समुचित व्यवस्थाएँ विद्यमान हैं।

रेमेडियल पाठ्यक्रम (निर्बल वर्ग सहायता)

इसके अन्तर्गत निर्बल वर्ग एवं कम प्रतिभा वाली छात्र/छात्राओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

कैरियर काउंसलिंग एवं रोजगार प्रकोष्ठ

प्रतिस्पर्धा के इस युग में कैरियर के प्रति जागरूक रहने के लिए यह प्रकोष्ठ छात्र/छात्राओं को रोजगार सम्बन्धी नवीनतम सूचनाएँ देता है।

साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषद

छात्र/छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा में विकास हेतु साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषद प्रत्येक वर्ष "युवा सप्ताह" का आयोजन करती है।

प्रसार व्याख्यान वाला समिति

विभिन्न महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक समकालीन विषयों पर विचार-विमर्श एवं गहन विश्लेषण करने के उद्देश्य से उक्त समिति द्वारा प्रसार व्याख्यान माला का आयोजन कराया जाता है।

महिला सहायता प्रकोष्ठ एवं शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

शासन के निर्देशानुसार स्थापित उक्त प्रकोष्ठ के माध्यम से महिलाओं (विशेषकर छात्राओं) की समस्याओं का समाधान किया जाता है।

वार्षिक समारोह

छात्र/छात्राओं की वर्ष पर्यन्त संचालित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की उत्कृष्ट प्रस्तुति प्रतिवर्ष सत्रान्त में आयोजित वार्षिक समारोह के रूप में आयोजित की जाती है एवं विजेताओं को पुरस्कृत किया जाता है।

विभागीय परिषद

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के बौद्धिक एवं शैक्षिक विकास हेतु सभी विषयों में परिषदों का गठन किया जाता है जो विभाग प्रभारी के निर्देशन में वाद-विवाद, भाषण, निबन्ध, पोस्टर, क्विज आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है।

महाविद्यालय पत्रिका

छात्र/छात्राओं की सृजनात्मक लेख्खनशीलता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महाविद्यालय पत्रिका प्रज्ञांशी प्रकाशित होती है।

सूचना का अधिकार समिति

इसके अन्तर्गत जन-सूचना अधिकारी द्वारा महाविद्यालय से सम्बन्धित सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रदान की जाती है।

पुरातन छात्र-परिषद

उक्त परिषद महाविद्यालय के पुरातन छात्र/छात्राओं से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखती है तथा महाविद्यालय विकास में उनकी सहभागिता की अपेक्षा करती है।

छात्र अभिभावक संघ

उक्त संघ के माध्यम से अभिभावकों को अपने पाल्य एवं महाविद्यालय गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जाती है।

<u>मानव संसाधन प्रबन्ध समिति</u>

छात्र/छात्राओं में बहुमुखी प्रतिभा विकसित करने के उद्देश्य से मानव संसाधन प्रबन्ध समिति द्वारा विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

<u>एण्टी रैगिंग समिति</u>

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग पर पूर्णतया नियन्त्रण एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु समिति सक्रिय है।

<u>आई.क्यू.ए.सी. (Internal Quality Assurance Cell)</u>

महाविद्यालय में गुणवत्ता सुधार प्रक्रिया को सतत रूप से चलाये रखने के उद्देश्य से आन्तरिक गुणवत्ता निर्धारक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

<u>छात्र कल्याण परिषद</u>

उक्त परिषद द्वारा निर्धन छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं को कार्यरूप में परिणित किया जाता है।